राजस्थान राज्य

बनाम

भूप राम

13 जनवरी 1997

[डॉ. ए. एस. आनंद और के.टी. थॉमस, न्यायमूर्तिगण]

दांडिक कानून:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 164.

मृत्यु पूर्व बयान–रिकॉर्डिंग का तरीका – बागड़ी भाषा में प्रश्नों के उत्तर दिए गए जबकि मजिस्ट्रेट ने इसे हिंदी में दर्ज किया – उत्तर कथा के रूप में दर्ज किए गए, न कि प्रश्न और उत्तर के रूप में– आभिनिर्धारित: मृत्यु पूर्व बयान केवल इसलिए दूषित नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे किसी दूसरी भाषा मे दर्ज किया गया था– दोषसिद्धि इस पर आधारित हो सकती है – उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर भरोसा न करके और विचारण न्यायालय द्वारा दज की गई सजा को रद्द करके गलती की – साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 32।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 27.

अपराध के हथियार –की वसूली– किसी अन्य मामले में जांच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर–ऐसी जानकारी को साक्ष्य में स्वीकार्य मानने की प्रयोज्यता की शर्तें – यह महत्वहीन था कि क्या जानकारी एक ही अपराध या एक अलग अपराध के संबंध में प्रदान की गई थी।

आरोपी की निशानदेही पर पिस्तौल की बरामदगी – बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय है कि मृतिका के शरीर से बरामद गोली उक्त पिस्तौल से चलाई गई हो सकती है – उच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति को नजरअंदाज कर दिया – माना: संबंधित साक्ष्य के कानूनी निहितार्थ पर विचार करते समय इस परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए था पिस्तौल की बरामदगी हेतु

प्रतिवादी–अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। लेकिन, अपील पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को बरी कर दिया। इसलिए यह अपील की गई ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतिका की पहली शादी प्रतिवादी के भाई से हुई थी, जिसकी संक्षिप्त वैवाहिक जीवन के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद, मृतिका की शादी प्रतिवादी से कर दी गई, लेकिन नया गठबंधन पति–पत्नी के बीच बार–बार होने वाली झड़पों और झगड़ों से परेशान था । मृतिका अपने माता–पिता के घर में रहती थी। दंपत्ति के बीच मनमुटाव इस हद तक पहुंच गया कि वापसी संभव नहीं थी और प्रतिवादी मृतिका से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए प्रतिवादी घटना की रात मृतिका के घर गया और पिस्तौल से मृतिका पर गोली चला दी। मृतिका को अस्पताल ले जाया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया गया।

प्रतिवादी को एक अन्य आपराधिक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद की। मृतिका के शरीर से बरामद पिस्तौल और गोली को बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास भेजा गया, जिन्होंने राय दी कि गोली उक्त पिस्तौल से चलाई गई हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया क्योंकि मृतिका ने मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बागड़ी भाषा में दिया था जबकि मजिस्ट्रेट ने इसे प्रश्न और उत्तर के बजाय हिंदी में कथात्मक रूप में दर्ज किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि पिस्तौल की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के दायरे से बाहर थे क्योंकि बरामदगी किसी अन्य मामले की जांच के दौरान की गई थी। उच्च न्यायालय ने बैलिस्टिक एक्सपर्ट की राय को भी नजरअंदाज कर दिया। इसलिए राज्य सरकार ने यह अपील की है।

अपील की स्वीकृति देते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया:1.1. यह मानते हुए कि मृतिका ने अपना बयान अपनी भाषा में दिया था, मृत्युपूर्व बयान केवल इसलिए दोषपूर्ण नहीं होगा क्योंकि यह एक अलग भाषा में दर्ज किया गया था। यह असामान्य नहीं है कि अदालतें अदालत की भाषा में साक्ष्य दर्ज करती हैं, भले ही गवाह अपनी भाषा में गवाही देते हों। न्यायिक अधिकारी बयानों को पक्षों की भाषा से अदालत की भाषा में अनुवाद करने के आदी हैं। इस तरह की अनुवाद

प्रक्रिया से कथन की स्वीकार्यता या उसकी विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि इसकी सच्चाई पर संदेह करने के अन्य कारण न हों। [195–ई]

1.2. मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने इसे सवाल–जवाब के रूप में दर्ज नहीं किया है। यह स्वयंसिद्ध है कि जो मायने रखता है वह पदार्थ है न कि रूप। मरते हुए आदमी से पूछे गए प्रश्न औपचारिक रहे होंगे और इसलिए दिए गए उत्तर भौतिक हैं। आपराधिक अदालतें मरने वाले व्यक्ति के कथन की सामग्री जानने में रुचि दिखा सकती हैं और उससे पूछे गए प्रश्न सामान्यतः बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। कथन का वह भाग जो संव्यवहार की उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, को स्वीकार्यता की मंजूरी मिल जाती है। यहां इस तरह के बयान को पांडित्यपूर्ण आधार पर खारिज करना अनुचित है कि यह प्रश्न और उत्तर के रूप में नहीं था। [195–जी–एच]

गणपत महादेव मणि बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1993] पूरक. 2 एस सी सी 242, पर निर्भर किया गया ।

2.1. पुलिस के समक्ष आरोपी के बयान की स्वीकार्यता के विरुद्ध प्रतिबंध का आवरण हटाने के लिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 में निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हैं। वे हैं: (1) अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज की जानी चाहिए थी; (2) उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए था; (3) जब उसने सूचना दी तो उसे किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए था; (4) इस प्रकार खोजे गए तथ्य को गवाह द्वारा बयान किया जाना चाहिए था। यदि वे शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी का वह हिस्सा जिसके कारण ऐसी खोज हुई, प्रतिबंध के आवरण से हट जाता है और यह साक्ष्य में स्वीकार्य हो जाता है। यह महत्वहीन है कि जानकारी उसी अपराध के संबंध में दी गई थी या किसी भिन्न अपराध के संबंध में। [196–ई–एफ]

2.2. मौजूदा मामले में, पुलिस द्वारा पाया गया तथ्य अपराध का हथियार, पिस्तौल नहीं है, बल्कि यह है कि आरोपी ने उक्त पिस्तौल को दफन कर दिया था और वह जानता था कि इसे कहाँ दफनाया गया था। बेशक, उक्त तथ्य का खुलासा तभी पूरा हुआ जब पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर ली. [196–जी]

पुलुदुरी कोट्टाया बनाम एम्परर, **एआईआर (1947) पीसी 67, स्वीकृत।**

जाफ़र हुसैन दस्तगीर बनाम महाराष्ट्र राज्य, **एआईआर (1970) एससी 1934;** *के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य*, **एआईआर (1962) एससी 1788;** *एराभद्रप्पा उर्फ कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य*, **[1983] 2 एससीसी 330;** *रणबीर यादव बनाम बिहार राज्य,* **[1995] 4 एससीसी 392 और** *शमशुल कंवर बनाम यूपी राज्य*, **[1995] 4 एससीसी 430, पर भरोसा किया गया।**

3. बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 के तहत साक्ष्य है, यह साबित करती है कि गोली और पिस्तौल (इस मामले में शामिल) की सूक्ष्म जांच की गई और विशेषज्ञ ने राय व्यक्त की कि उक्त पिस्तौल से गोली चलाई जा सकती है। इस परिस्थिति को, हालांकि उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया, परंतु पिस्तौल की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य के कानूनी निहितार्थ पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। [197–एफ]

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 377/1996.

राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ के आपराधिक अपील संख्या 258/1989 में दिए गए निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.8.1995 से उत्पन्न ।

अपीलकर्ता की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता की ओर से सुश्री अलका अग्रवाल ।

प्रतिवादी की ओर से डूंगर सिंह, वी.जे. फ्रांसिस और पी.आई. जोस ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति थॉमस द्वारा सुनाया गया–

प्रतिवादी की पत्नी (सुश्री चावली) की दिनांक 20.7.1985 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपने घर में सो रही थी। प्रतिवादी भूप सिंह पर हत्यारा होने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप सही ठहराया और उसका चालान कर दिया। हालाँकि सत्र न्यायालय ने उसे हत्या का दोषी ठहराया, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। यह अपील उपरोक्त बरी किए जाने की चुनौती में राजस्थान राज्य द्वारा विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई है।

अभियोजन का मामला एक बहुत छोटी कहानी है: चावली की पहली शादी प्रतिवादी के भाई से हुई थी, जिसकी संक्षिप्त वैवाहिक जीवन के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद, चवली की शादी प्रतिवादी से कर दी गई, लेकिन नया गठबंधन पति–पत्नी के बीच लगातार झड़पों और झगड़ों के कारण दोषपूर्ण हो गया। चावली अपने माता–पिता के घर में रह रही थी। दंपत्ति के बीच मनमुटाव इस हद तक पहुंच गया कि वापसी संभव नहीं थी और प्रतिवादी उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए वह घटना की रात उसके घर गया और पिस्तौल से उस पर गोली चला दी। जब उसने दोबारा बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो पहली गोली की आवाज सुनकर चावली के पिता उसकी ओर दौड़े और उसे पकड़ लिया, लेकिन हत्यारा पिस्तौल लेकर भाग गया।

चावली ने घर में मौजूद सभी लोगों को बताया कि उसे उसके पति भूप सिंह ने गोली मारी है। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी देखभाल करने वाले डॉक्टर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक समझा कि उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया जा सकता है। इसके अनुसरण में अ.सा.–5 भगवार सिंह, जो अलवर में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, अस्पताल गए और उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया। दोपहर 2.30 बजे, उसने आखिरी सांस ली । पुलिस ने पड़ोसी भजन लाल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया। 22.7.1985 को, प्रतिवादी को एक अन्य आपराधिक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने आर्टिकल 4 पिस्तौल बरामद की।

चावली के शरीर से बरामद गोली और आर्टिकल 4–पिस्तौल को बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास भेजा गया। उक्त विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में उक्त पिस्तौल से गोली चलने की संभावना की पुष्टि की है ।

मुकदमे के दौरान चावली के पिता (राम रतन–अ. सा.1), उसकी बहन (रमेशवारी अ. सा.2) और भजन लाल अ. सा.3, जिन्होंने प्रथम सूचना विवरण दिया था, को प्रतिकूल साक्षी घोषित कर दिया गया है क्योंकि वे सभी प्रतिवादी का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि किसी और ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और प्रतिवादी को झूठा फंसाया गया था। प्रतिवादी द्वारा अपनी याचिका के समर्थन में चावली की माता श्रीमती मंगली से बचाव पक्ष के गवाह नंबर 2 के रूप में से पूछताछ की गई। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने अ. सा.1, अ. सा.2 और अ. सा.3 और ब.सा. 2 के साक्ष्यों को खारिज करने के बाद, अ. सा.5 – न्यायिक

मजिस्ट्रेट द्वारा साबित किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर और आर्टिकल 4– पिस्तौल की बरामदगी से संबंधित सबूतों पर भी पूरा भरोसा किया और प्रतिवादी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि पिस्तौल की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे से बाहर थे क्योंकि बरामदगी किसी अन्य मामले की जांच के दौरान की गई थी। चूंकि अभियोजन के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, खंडपीठ ने प्रतिवादी को बरी कर दिया।

यदि अ. सा.5 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व बयान विश्वसनीय है, तो बिना किसी सहायक सामग्री के भी उस पर दोषसिद्धि का आधार बनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

बयान प्रदर्श पी–8 के मृत्यु पूर्व बयान से स्पष्ट है कि उसके पति भूप सिंह ने उसे पिस्तौल से गोली मारी है। लेकिन उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने प्रदर्श पी–8 मृत्यु पूर्व बयान में दो विशेषताओं पर प्रकाश डाला जो दुर्बलताओं के रूप में, इसके साक्ष्य मूल्य को दोषपूर्ण करती है। सबसे पहले, मृतिका ने मजिस्ट्रेट द्वारा उससे पूछे गए सवालों का जवाब बागड़ी भाषा में दिया, जबकि अ. सा.5 ने इसे एक कथात्मक रूप में हिंदी में दर्ज किया। खंडपीठ के मुताबिक मजिस्ट्रेट को मृत्यु पूर्व बयान को प्रश्न एवं उत्तर के रूप में दर्ज करना चाहिए था। दूसरा, अ. सा.5 मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर से यह पता नहीं लगाया था कि मृतिका सचेत रूप से मृत्यु पूर्व बयान देने की स्थिति में था या नहीं।

डॉ. नरेश कुमार (अ. सा. 7) जिन्होंने सबसे पहले मृतिका की देखभाल की थी जब उसे गोली लगने के बाद अस्पताल लाया गया था, उसने साक्ष्य दिया है कि उसने मजिस्ट्रेट को एक मांग पत्र भेजा था क्योंकि उसे लगा था कि चावली का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया जा सकता है। अ. सा.5 – न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाही दी है कि मृतिका ने उसे जो बताया था, उसने उसे हिंदी में रिकॉर्ड किया था। चिकित्सक एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक स्वर में कहा कि बयान के समय मृतिका होश में थी । उपरोक्त स्थिति में उच्च न्यायालय के लिए यह मानने का कोई औचित्य नहीं था कि जब मृतिका ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को बयान दिया था तो वह होश में नहीं थी। इसी

तरह, यह गलत धारणा थी कि मृतिका ने हिंदी में बात नहीं की होगी क्योंकि अ. सा.5 ने अपने साक्ष्य में सकारात्मक रूप से कहा है कि मृतिका ने अपने उत्तर हिंदी में दिए थे। अन्यथा भी, यह सोचना बहुत ज़्यादा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो कुछ मृतिका ने उससे कहा था, उससे अलग दर्ज किया होगा।

यह मानते हुए कि मृतिका ने अपना बयान अपनी भाषा में दिया था, मृत्युपूर्व बयान केवल इसलिए दोषपूर्ण नहीं होगा क्योंकि यह एक अलग भाषा में दर्ज किया गया था। हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यह असामान्य नहीं है कि अदालतें अदालत की भाषा में साक्ष्य दर्ज करती हैं, भले ही गवाह अपनी भाषा में गवाही देते हों। न्यायिक अधिकारी बयानों को पक्षों की भाषा से अदालत की भाषा में अनुवाद करने के आदी हैं। इस तरह की अनुवाद प्रक्रिया से कथन की स्वीकार्यता या उसकी विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि इसकी सच्चाई पर संदेह करने के अन्य कारण न हों।

न ही मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए दोषपूर्ण हो जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने इसे सवाल–जवाब के रूप में दर्ज नहीं किया। यह स्वयंसिद्ध है कि जो मायने रखता है वह पदार्थ है न कि रूप। मरते हुए आदमी से पूछे गए प्रश्न औपचारिक रहे होंगे और इसलिए दिए गए उत्तर भौतिक हैं। आपराधिक अदालतें यह जानने में रुचि दिखा सकती हैं कि मरने वाले व्यक्ति ने क्या कहा और उससे पूछे गए प्रश्न आम तौर पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कथन का वह भाग जो संव्यवहार की उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, को स्वीकार्यता की मंजूरी मिल जाती है। यहां इस तरह के बयान को पांडित्यपूर्ण आधार पर खारिज करना अनुचित है कि इसे प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। (गणपत महादेव मणि बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1993] अनुपूरक 2 एससीसी 242 देखें।)

हम प्रदर्श पी–8 मृत्यु पूर्व घोषणा को एक स्पष्ट एवं स्पष्ट कथन के रूप में पाते हैं । उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई कमज़ोरियाँ इतनी सूक्ष्म हैं कि इतने मूल्यवान और मजबूत ठोस सबूत को खारिज नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने पिस्तौल की बरामदगी से संबंधित साक्ष्यों और अभियुक्तों के बयान को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पिस्तौल किसी अन्य मामले के संबंध में बरामद की गई थी। वह अन्य मामला 9.7.1985 को प्रतिवादी के खिलाफ अपराध संख्या 116/1985 के रूप में दर्ज किया गया था और उसके संबंध में उसे

22.7.1985 को गिरफ्तार किया गया था। अ. सा.12– रायसिंग नगर पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष ने इस मामले में गवाही दी है कि जब प्रतिवादी से पूछताछ की गई तो उसने उसे बताया कि पिस्तौल एक बैग में लपेटी गई थी और उसके घर के पास गाड़ दी गई थी। जब प्रतिवादी को उस स्थान पर ले जाया गया तो उसने आर्टिकल 4 पिस्तौल को खोदकर निकाल दिया और पुलिस को सौंप दिया।

उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अ. सा.12 ने इस तथ्य की खोज की कि प्रतिवादी ने आर्टिकल 4 पिस्तौल को दफना दिया था। पुलिस को दिया गया उसका बयान कि उसने पिस्तौल अपने घर के पास जमीन में गाड़ दी थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में निहित प्रतिबंध से मुक्त हो जाता है क्योंकि यह धारा 27 के तहत स्वीकार्य हो जाता है। धारा 27 में निर्धारित शर्तें पुलिस के समक्ष आरोपी के बयान की स्वीकार्यता पर लगे प्रतिबंध का आवरण हटाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया गया है। वे हैं: (1) अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज की जानी चाहिए थी; (2) उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए था; (3) जब उसने सूचना दी तो उसे किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए था; (4) इस प्रकार खोजे गए तथ्य को गवाह द्वारा बयान किया जाना चाहिए था। यदि वे शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी का वह हिस्सा जिसके कारण ऐसी खोज हुई, प्रतिबंध के आवरण से हट जाता है और यह साक्ष्य में स्वीकार्य हो जाता है। यह महत्वहीन है कि जानकारी उसी अपराध के संबंध में दी गई थी या किसी भिन्न अपराध के संबंध में। यहां पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य आर्टिकल 4 पिस्तौल नहीं है, बल्कि यह है कि आरोपी ने उक्त पिस्तौल को दफनाया था और वह जानता था कि पिस्तौल को कहां दफनाया गया था। बेशक, उक्त तथ्य का खुलासा तभी पूरा हुआ जब पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर ली।

इस संदर्भ में, हम *पुलुकुरी कोट्टाया बनाम एम्परर*, एआईआर (1947) पीसी 67 मामले में सर जॉन ब्यूमोंट के प्रसिद्ध शब्दों को उद्धृत करना उचित समझते हैं:

> "माननीय न्यायमूर्ति के विचार में धारा के अंतर्गत 'खोजे गए तथ्य' को प्रस्तुत वस्तु के समतुल्य मानना गलत है; खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु का प्रस्तुतीकरण किया गया है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए... हिरासत में एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी कि "मैं एक चाकू का प्रस्तुतिकरण करूंगा जो मेरे घर की छत में छिपा हुआ है" चाकू की खोज का कारण नहीं बनता; चाकू की खोज कई साल पहले की गई थी। इससे इस तथ्य का पता चलता है कि मुखबिर के घर में उसकी जानकारी के अनुसार एक चाकू

छिपा हुआ है, और यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध के कृत्य में चाकू का इस्तेमाल किया गया था, तो पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है।

(बल दिया गया)

उसमें दिया गया मत *लोकस क्लासिकस* बन गया है और यहां तक कि इसकी घोषणा के आधी सदी बीत जाने के बाद भी इसके फोरेंसिक मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। हम बता सकते हैं कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में उक्त मत का अनुमोदनपूर्वक उल्लेख किया है, (उदाहरण के लिए *जाफर हुसैन दस्तगीर बनाम महाराष्ट्र राज्य,* एआईआर (1970) एससी 1934; *के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* और अन्य, एआईआर (1962) एससी 1788; *इयरभद्रप्पा उर्फ कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य,* [1983] 2 एससीसी 330; *रणबीर यादव बनाम बिहार राज्य,* [1995] 4 एससीसी 392 और *शमशुल कंवर बनाम यूपी राज्य*, [1995] 4 एससीसी 430.)

प्रदर्श पी–14 दिनांक 8.4.86 की रिपोर्ट है, जो डॉ. पी.एस. मनोचा, (सहायक निदेशक, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत की गई है। । उक्त रिपोर्ट जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत साक्ष्य है, यह साबित करती है कि गोली और पिस्तौल (इस मामले में शामिल) की सूक्ष्म जांच की गई और विशेषज्ञ ने राय व्यक्त की कि गोली उक्त पिस्तौल से चलाई गई हो सकती है। यह एक और परिस्थिति है जिसे हालांकि उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है, परंतु आर्टिकल 4 – पिस्तौल की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य के कानूनी निहितार्थ पर विचार करते समय हम इसे ध्यान में रखते हैं।

उपरोक्त कारणों से हमारा दृढ़ मत है कि उच्च न्यायालय ने अ. सा. 12 के साक्ष्य को हाशिए पर रखकर स्पष्ट रूप से गलत किया था कि प्रतिवादी ने उसे आर्टिकल 4 – पिस्तौल को छिपाने के बारे में बताया था जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है।

चूंकि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दो बहुत मूल्यवान साक्ष्य को नज़रंदाज़ करके गंभीर त्रुटि की है , इसलिए हम बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, हम आक्षेपित फैसले को खारिज करते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दी गई दोषसिद्धि और सजा को बहाल करते हैं। हम सत्र न्यायाधीश,

श्री गंगानगर को निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी को सजा भुगतने के लिए जेल में डालने के लिए तत्काल कदम उठाएं

।

वी एस एस

Translated by:–
Rang Nath Tripathi
Advocate, Allahabad High Court